

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना।

पटना, दिनांक- 8-3-2016।

विषय:- मांग संख्या-22 मुख्यशीर्ष-2056-जेल, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष 003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0002-बंदियों के प्रशिक्षण हेतु विपत्र कोड-एन0-2056000030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बंदियों के प्रशिक्षण हेतु 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में ₹36,000 (छत्तीस हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-एन0-2056000030002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक- ब17/बी0एस0जी0-22/2015-295/वि0 दिनांक- 24.03.2015 एवं ब17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0 दिनांक- 24.04.2015, पत्र संख्या-एम-4-09/2014/5294 दिनांक-17.06.2015, पत्रांक- 2561/वि0 (2) दिनांक- 17.04.98 एवं अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना के पत्रांक-1487 दिनांक- 24.02.2016 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के पत्रांक- 706 दिनांक-22.02.2016 द्वारा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में राशि ₹40,000 (चालीस हजार रुपये मात्र) का प्रत्यर्पण स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपबंधित राशि एवं प्रत्यर्पित राशि में से बंदियों के प्रशिक्षण हेतु 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना को निम्नांकित रूप से अतिरिक्त राशि का आवंटन की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र0	कारा का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना	70,000	36,000	106,000	एक लाख छः हजार रुपये मात्र
	योग	70,000	36,000	1,06,000	एक लाख छः हजार रुपये मात्र

(छत्तीस हजार रुपये मात्र)

2. राशि का व्यय मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष- 2056 जेल, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष 003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0002- बंदियों के प्रशिक्षण हेतु विपत्र कोड- एन-2056000030002 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। राशि की निकासी हेतु मांग संख्या-22, विपत्र कोड संख्या-एन 2056000030002 तथा कूट सं0 28 01 विपत्र पर अवश्य अंकित किया जाय।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय एवं इस राशि का दूसरे मद में विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

5. व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से कारा निरीक्षणालय को उपलब्ध कराया जाय। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। आवंटित राशि से कितने बंदियों के, किस प्रशिक्षण पर कितनी राशि व्यय किया गया है, इसकी विवरणी निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (उप) 03-05/15-107

पटना, दिनांक 2-3-2016।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार वीर चन्द पटेल, पथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (उप) 03-05/15-107

पटना, दिनांक 2-3-2016।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को उनके पत्रांक-706 दिनांक-22.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (उप) 03-05/15-107

पटना, दिनांक 2-3-2016।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (उप) 03-05/15-107

पटना, दिनांक 2-3-2016।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, एवं सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट (उप) 03-05/15-107

पटना, दिनांक 2-3-2016।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।